संख्या-19/2015/350/नौ-5-15-83सा/2009 टीसी

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 18 फरवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड में प्रावधानित धनराशि से विभिन्न सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड मद में प्रावधानित धनराशि से ₹ 225.00 करोड़ के सापेक्ष नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत गठित विभिन्न सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को उनके द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कुल ₹ 7045.15 लाख (₹ सत्तर करोड़ पैंतालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	एसपीवी का नाम	सन्दर्भ/विवरण	स्वीकृत धनराशि
1	आगरा-मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा	वायबिल्टी गैप हेतु	1406.64
2	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, लखनऊ	कार्ययोजना के सापेक्ष	2020.00
3	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, कानपुर	बसों के जीर्णोद्धार हेतु	354.00
4	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, मेरठ	वायबिल्टी गैप हेतु	395.00
5	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, इलाहाबाद	कैश हानि हेतु	2057.37
6	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वाराणसी	बकाया हेतु	812.14
		योग	7045.15

(1) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) सम्बन्धित सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(3) कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-क-नि-5-1149/11-2013-312(268) /2001, दिनांक 13.09.2013 में प्रावधानित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0/नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5) उक्त वित्तीय स्वीकृति उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत निहित उददेश्यों के तहत् निर्गत की जा रही है। अतः सन्दर्भित नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन सम्बन्धित सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यदि सम्बन्धित सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यो में बचत होती है, तो बचत की धनराशि का उपयोग अन्य कार्यो में शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(7) निधि से स्वीकृत धनराशि का लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख-रखाव रखा जायेगा तथा वार्षिक लेखा विवरण नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या'37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनेत्तर *लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डैडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड में अंतरण-42-अन्य व्यय"* के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यूओ.ई-8-433/दस-2015, दिनांक 16 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 19 /2015/350 (1)/नौ-5-14-83सा/2009टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद एवं वाराणसी।
3- जिलाधिकारी, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद एवं वाराणसी।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद एवं वाराणसी।
6- निदेशक, परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
9- टीम लीडर पीएमयू, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।